

19/05/23

- प्रकरण निम्न तिथि के पूर्व पेक्षा।

- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी मगन नुवा रात्रपुर के दिनांक 6 जूलाई 2023 को जारी माधिसूचना अनुसार -

"किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना/योजना के लिए, आवंटित विभाग/विभाग/संस्था, आवंटित भूमि पर अनस्थित वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनु. अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग के माध्यम से वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।"

उपरोक्त माधिसूचना के प्रकाशन

अनुसार आवेदक ईस्ट कोस्ट रेलवे किरंदुल द्वारा की वृक्ष कटाई हेतु सूचना ले गई है।
अभी कोई हस्तक्षेप कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण नसीब छ
कर दायित्व दफ्तर हो।

Ramul

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बड़ेबचेली, जिला द.ब. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)